13 राज्यों से 97% अनुसूचित जाति के विरुद्ध अत्याचार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, एक सरकारी रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2022 में **अनुसूचित जातियों (SC) के खिलाफ 97.7% अत्याचार** 13 राज्यों में केंद्रित थे, जिनमें **उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में** ऐसे मामलों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई।

प्रमुख बिंदु

- **वर्ष 2022 में अनुसूचित जातियों (SC) के विरुद्ध अत्याचार:**
  - अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सभी अत्याचारों में से 97.7% (52,866 मामलों में से 51,656) 13 राज्यों में दर्ज किये गए।
  - उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामले (12,287 या 23.78%) दर्ज किये गए।
- **वर्ष 2022 में अनुसूचित जनजातियों (ST) के विरुद्ध अत्याचार:**
  - अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध सभी अत्याचारों में से 98.91% मामले 13 राज्यों (कुल 9,735 मामले) में दर्ज किये गए।
  - मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मामले (2,979 या 30.61%) थे।
  - इसके बाद राजस्थान में 2,498 मामले (25.66%) और ओडिशा में 773 मामले (7.94%) दर्ज किये गए।
- **दोषसिद्धि दर:**
  - **SC/ST अधिनियम, 1989** के तहत मामलों में दोषसिद्धि दर वर्ष 2020 में 39.2% से घटकर वर्ष 2022 में 32.4% हो गई।
- **SC/ST संरक्षण उपाय:**
  - आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में SC/ST संरक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किये गए हैं।
  - बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में SC/ST अपराधों से निपटने के लिये विशेष पुलिस स्टेशन स्थापित किये गए हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 :

- **SC ST अधिनियम, 1989 संसद** द्वारा पारित एक अधिनियम है जो एससी एवं SC समुदायों के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का निषेध करने तथा उनके विरुद्ध अत्याचार को रोकने के लिये बनाया गया है।
- यह अधिनियम इस निराशाजनक वास्तविकता को भी स्वीकार करता है कि अनेक उपाय करने के बावजूद **अनुसूचित जातियों** / **अनुसूचित जनजातियों** को उच्च जातियों के हाथों विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है।
- यह अधिनियम **संविधान के अनुच्छेद 15 (भेदभाव का प्रतिषेध), 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन)** और **21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)** में उल्लिखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, जिसका दोहरा उद्देश्य इन कमज़ोर समुदायों के सदस्यों की सुरक्षा के साथ-साथ जाति आधारित अत्याचारों के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है।
- संशोधित **SC/ST अधिनियम, 2018 में** प्रारंभिक जाँच अनिवार्य नहीं है और SC/ST पर अत्याचार के मामलों में FIR दर्ज करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्राधिकारी की पूर्व अनुमति की भी आवश्यकता नहीं है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/97-sc-strocities-from-13-states